

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या - 01/2026-27

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के लिए सृजित अतिरिक्त अभिलेखागार में संचिकाओं के सुरक्षित संधारण हेतु 20 गेज चदरे (Sheet) से निर्मित 8 खाने वाला 120 रैक उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक निविदादाता से निम्न शर्तों के अधीन मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है-

1. रैक की विशिष्टि

20 गेज की लोहे की चदरे (Sheet) प्रयुक्त होगी। इसका एंगल कम से कम 12 गेज का होना चाहिए। प्रत्येक रैक में संचिका रखे जाने योग्य 8 Sheet होगी। रैक की चौड़ाई 3 फीट की होगी। लम्बाई 1.5 फीट तथा ऊँचाई 11 फीट होगी। 2 Sheet के बीच कम से कम 1.5 फीट की दूरी होगी। उक्त सभी रैक का प्राइमर सहित रंग-रोगन फर्म द्वारा किया जायेगा।

2. तकनीकी निविदा :-

निविदादाता को तकनीकी रूप से सफल होने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे-

- (i) निविदादाता फर्म का Shops and Establishment के अन्तर्गत निबंधन का प्रमाण पत्र।
- (ii) निविदादाता द्वारा विगत पाँच वर्षों में जिन सरकारी विभागों/उपक्रमों/संस्थानों में इस प्रकृति का कार्य किया गया हो, तो उसका प्रमाण संलग्न करना होगा।
- (iii) निविदादाता के पैन कार्ड की छायाप्रति।
- (iv) निविदादाता के जी०एस०टी० निबंधन की प्रति।
- (v) निविदादाता के विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न।
- (vi) EMD के रूप में रूपये 20 हजार का डिमांड ड्राफ्ट अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के नाम से जमा किया जाना होगा।
- (vii) लघु एवं मध्यम उद्योग/उपक्रम के रूप में निबंधित रहने का प्रमाण (यदि कोई हो)।

3. वित्तीय निविदा :-

वित्तीय निविदा के रूप में फर्म द्वारा ऊपर वर्णित विशिष्टियों के अनुरूप 120 रैक्स का समेकित दर सभी कर/भार एवं परिवहन व्यय/फिटिंग सहित अंकित किया जाएगा।

4. सामान्य शर्तें :-

- (i) निविदा मुहरबंद लिफाफे में निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को संबोधित होनी चाहिए तथा यह शिक्षा विभाग, विकास भवन, नेहरू पथ के लेखा प्रशाखा (कमरा संख्या-42) में हाथों-हाथ दिनांक-05.05.2026 को अपराह्न 01:00 बजे तक उपलब्ध कराई जाएगी। इसके पश्चात् कोई निविदा प्राप्त नहीं की जाएगी और न ही उनपर विचार किया जाएगा।
- (ii) निविदादाता को निविदा से संबंधित तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में रखकर पुनः इन्हें एक बड़े लिफाफे के अंदर रखकर विभाग को प्राप्त कराना होगा। अलग-अलग लिफाफे के उपर "तकनीकी निविदा" तथा "वित्तीय निविदा" अंकित करना अनिवार्य होगा।


13/05/26

- (iii) निर्धारित समय सीमा में प्राप्त निविदाओं को विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। तकनीकी रूप से सफल पाए गए निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी तथा न्यूनतम दर (L-1) के निविदादाता को नियमानुसार क्रयादेश दिया जाएगा।
- (iv) सफल निविदादाता को क्रयादेश प्राप्त होने के अधिकतम दस (10) दिनों के अंदर सामग्री की आपूर्ति बिहार इन्टरमीडिएट ऐजुकेशन काउन्सिल, बुद्ध मार्ग, पटना के प्रथम तल पर अवस्थित कमरा संख्या-19, 20 में करना होगा। रैक लाने, लगवाने एवं इसपर संबंधित अन्य खर्च फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।
- (v) उपलब्ध कराये जाने वाले रैक की गुणवत्ता निविदा में वर्णित विशिष्टि के अनुरूप नहीं होने पर भुगतान नहीं की जा सकेगी। आपूर्तिकर्ता को स्रोत पर वैधानिक कटौतियों के पश्चात् अनुमान्य भुगतान किया जाएगा।
- (vi) निविदा के किसी शर्त को संशोधित करने, प्राप्त सभी निविदा या किसी एक निविदा को रद्द करने की शक्ति अधोहस्ताक्षरी को होगी।
- (vii) विभाग द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा।


(मनोरंजन कुमार)
निदेशक प्रशासन